

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सीन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.
मा संख्या - 94/19 प्रा०पत्र

श्री लाल उर्फ पुष्पचन्द महाजन व/० चान्दगल महाजन निवासी-केरिया
तहसील-माण्डल [कैरिया]

राधेश्याम व/० सुरवेदत ब्राह्मण निवासी-केरिया तहसील-माण्डल [कैरिया]
(पत्थरगढी प्रा० पत्र संलग्न)

-प्रार्थी

बनाम

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 28.5.19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर
वेदन किया कि ग्रामकेरिया..... पटवार हलका.....केरिया..... तहसील माण्डल में
उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1482, 1483, 1486, 1487, 1494, 1495, 3144/1498
केता.....08..... रकबा23..... बीघा.....02..... विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के
मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।
जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.5.19 को पंजीबद्ध किया जाकर
प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से
पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की
हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को
देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम
केरिया..... पटवार हलका.....केरिया..... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते
की आराजी नं. 1482, 1483, 1486, 1487, 1494, 1495, 3144/1498 कुल केता.....08..... रकबा23.....
बीघा.....02..... विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये
जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास को
1200/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर
जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को
बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी
नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल